न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – के.सी. मीना, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 128/2018 दायर दिनांक – 26.06.2018

1. दलीपराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मनाफरसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

– वादी –

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वादी की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक :– 17.01.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से ग्राम रोही चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/14 के किला नं0 13 ता 17, 24, 25 की 7.00 बीघा कमांड/अनकमांड, मु0नं0 43/15 के किला नं0 5 की 1.00 बीघा, मु0नं0 43/22 के किला नं0 11, 18 ता 23 की 6.14 बीघा कमांड, मु0नं0 43/23 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 18, 19, 22, 23 की 9.10 बीघा कमांड कुल तादादी 24.04 बीघा कमांड/अनकमांड खातेदारी भूमि है जो वादी की खरीदशुदा भूमि है तथा वादी के कब्जे काश्त में है। वादी को प्रदीप कुमार व दलीपराम दोनों नाम से पुकारा जाता है किन्तु वादी का वास्तविक नाम दलीपराम है। वादगत भूमि खरीद किये जाते समय किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होने से वादी का नाम प्रदीप कुमार लिखवा दिया गया इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अब प्रदीप कुमार के स्थान पर दलीपराम नाम संशोधित करवाना चाहता है। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी किसी सरकारी सुविधा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है अतः वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम प्रदीप कुमार के स्थान पर दलीपराम की घोषणा करवाने का हकदार है। दिनांक 30.05.2018 को वादी द्वारा अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा इन्कार करने पर वादी को वादकारण हासिल हुआ। अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि उपरोक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रदीप कुमार के स्थान पर दलीपराम दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार राज. द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के लिए नाम परिवर्तन का अन्य विधिक उपचार उपलब्ध है एवं बैयनामा के अंदर अंकित नाम को परिवर्तन शुद्वि पत्र पंजीबद्व कराकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं अतः यह वाद खारिज फरमाया जावे।

3. वकील वादी की इकतरफा बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की तहसील लूनकरनसर के चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/14, 15, 22 व 23 की 24.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दलीपराम की जगह प्रदीप कुमार लिखा गया है जबकि सही नाम दलीपराम है। उक्त दोनों नाम वादी के ही इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादगत भूमि खरीद की उस समय किसी प्रकार का परिचय पत्र नहीं लगाया जाता था व वादी का बोलता नाम प्रदीप कुमार था इसलिए वादी का नाम दलीपराम की जगह प्रदीप कुमार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया है। वादी प्रदीप कुमार की जगह दुरूस्त करवाकर दलीपराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी तहसीलदार के पास नाम दुरूस्त करवाने गया तब तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसी दिनांक 30.05.2018 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यही बिनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। अतः वादी का नाम चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/14, 15, 22 व 23 की 24.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि, जिसमें वादी अपने नाम प्रदीप कुमार की जगह दलीपराम शुद्ध करने की घोषणा करवाना चाहता है। वकील वादी ने वादपत्र के साथ ग्राम पंचायत राजासर उर्फ करणीसर, पंचायत समिति लूनकरनसर की तस्दीक एवं आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें वादी का नाम दलीपराम अंकित है। शपथ–पत्र सोहनलाल पुत्र नानूराम तथा कैम्प बडेरन में मजमें आम में तैयार की गई फर्द पेश की गई है।

4. हमने वकील वादी की बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव ग्राम पंचायत राजासर उर्फ करणीसर, पंचायत समिति लूनकरनसर की तस्दीक, शपथ–पत्र सोहनलाल पुत्र नानूराम तथा कैम्प बडेरन में मजमें आम में तैयार की गई फर्द आदि दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रदीप कुमार व दलीपराम दोनो नाम वादी के हैं, वादी के बोलते नाम प्रदीप कुमार से वादगत भूमि खरीद की गई इस कारण राजस्व रिकार्ड में प्रदीप कुमार नाम से अंकन हुआ है। अब वादी प्रदीप कुमार के स्थान पर दलीपराम नाम की शुद्वि करवाना चाहता है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि चक 6–8 एम0जी0डी0 के मु0नं0 43/14, 15, 22 व 23 की 24.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम प्रदीप कुमार के स्थान पर दलीपराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.सी.मीना)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner